

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(48/18)/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती रजनी शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आमेर (जिला जयपुर प्रथम) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 13.04.2020 से 24.07.2020 तक 103 दिवस का उपाजित अवकाश।
3. दिनांक 25.07.2020 से 10.08.2020 तक 17 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
4. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 05/06/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(48/18)/2018/1174

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आमेर (जिला जयपुर प्रथम)।
3. प्रधानाचार्य, इरशाद मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग एज्युकेशन, ए-9, सनसाईन एनक्लेव, उनियारा गार्डन, एमडी रोड, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर